

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : एम०के० सिंह
सदस्य

निगरनी प्र० क० 2835-तीन/2002 एवं 2836-तीन/2002 विरुद्ध
आदेश दिनांक 30-08-02 पारित अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना प्रकरण
कमांक 282/2000-01 एवं 285/2000-01 अपील.

1- राधेश्याम पुत्र माधोसिंह
2- वीरेन्द्र पुत्र माधोसिंह
3- विशम्भर पुत्र माधोसिंह
4- रामसिंह पुत्र माधोसिंह
सभी निवासी ग्राम चुरहेला, तहसील व
जिला मुरैना, म०प्र०
विरुद्ध

— आवेदकगण

प्रीतमसिंह पुत्र पृथ्वीसिंह (मृत)
वारिसान-

1- श्रीकृष्ण पुत्र प्रीतमसिंह
2- बच्चूसिंह पुत्र प्रीतमसिंह
3- रामनिवास पुत्र प्रीतमसिंह
4- जगदीश पुत्र प्रीतमसिंह
5- सरदारसिंह पुत्र प्रीतमसिंह
6- रविन्द्रसिंह पुत्र प्रीतमसिंह
नाबालिग वसरपरस्त माँ श्रीमती रामकली
7- रामकली पत्नी प्रीतमसिंह
8- रामबेटी पुत्री प्रीतमसिंह
सभी निवासी ग्राम चुरहेला, तहसील व
जिला मुरैना, म०प्र०

— अनावेदकगण

9- जगन्नाथ पुत्र मोहकमसिंह
10- शिवचक्र पुत्र मोहकमसिंह
11- विशाल पुत्र मोहकमसिंह
सभी निवासी ग्राम चुरहेला, तहसील व
जिला मुरैना, म०प्र०

— औपचारिक अनावेदकगण

श्री एस०के० अवस्थी, अभिभाषक - आवेदकगण

श्री एस०के० श्रीवास्तव, अभिभाषक- अनावेदक क०-1 से 7



आदेश

(आज दिनांक १-२-२०१५ को पारित)

यह निगरानी के आवेदनपत्र मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना के अपील प्रकरण क्रमांक 282/2000-01 एवं 285/2000-01 में पारित आदेश दिनांक 30-08-02 से असन्तुष्ट होकर प्रस्तुत किये गये हैं।

2/ प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम चुरहेला की प्रश्नाधीन भूमि पर तहसीलदार, मुरैना के नामान्तरण आदेश दिनांक 06-09-97 एवं 14-10-97 के विरुद्ध अनावेदक प्रीतमसिंह द्वारा 27-09-99 को अपीलें अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष विलम्ब को माफ करने हेतु आवेदनपत्र प्रस्तुत किये गये। उभय पक्ष को सुनने के पश्चात अनुविभागीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 21-06-2001 में यह निष्कर्ष निकाला कि अपील दिनांक 27-09-99 को करीबन 2 साल बाद प्रस्तुत की गयी। विलम्ब का कारण जेल में रहना बताया है जिसका कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया तथा प्रतिदिन के विलम्ब का कोई कारण नहीं दर्शाया गया। अतः अनुविभागीय अधिकारी ने अपीले समयावधि बाह्य होने से खारिज की। द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत करने पर अपर आयुक्त ने अपने आदेश दिनांक 30-08-02 द्वारा अपीलें स्वीकार की गयी। अतः आवेदकगण द्वारा यह निगरानी आवेदनपत्र राजस्व मण्डल में प्रस्तुत किये गये हैं।

3/ मैने अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया तथा उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों के तर्कों पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया। आवेदकगण के अभिभाषक का तर्क है कि विज्ञप्ति प्रसारित करने के बाद कोई



आपत्ति पेश नहीं होने से राजस्व निरीक्षक के प्रतिवेदन एवं साक्ष्य लेने के बाद विधिवत नामान्तरण आदेश पारित किये गये हैं। अनावेदक प्रीतमसिंह द्वारा विलम्ब का कारण जेल में होना बताया, किन्तु उनके द्वारा इस संबंध में कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रीतमसिंह के कथन के खण्डन में आवेदकगण द्वारा शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है, किन्तु अपर आयुक्त ने अपने आदेश में विलम्ब क्षमा करने का पर्याप्त आधार था, इस पर निष्कर्ष निकाले बिना गुण-दोष के आधार पर प्रकरण प्रत्यावर्तन करने में त्रुटि की है। उनका यह भी तर्क था कि अनुविभागीय अधिकारी ने विलम्ब के संबंध में विधिवत तथ्यात्मक निष्कर्ष निकाले गये जिन्हें बिना पर्याप्त आधार के द्वितीय अपील में अपर आयुक्त द्वारा निरस्त किया गया है। अतः उन्होंने निगरानी स्वीकार करने का अनुरोध किया।

4/ अनावेदकों के विद्वान अभिभाषक का तर्क है कि नामान्तरण आदेश पारित करने के पूर्व अनावेदक को ना तो विधिवत सूचनापत्र तामील किया गया और ना ही नामान्तरण के पूर्व विधिवत इशतहार प्रकाशित किया गया। अनावेदक को नामान्तरण आदेश की जानकारी होने पर उसने अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की जो आदेश की जानकारी के दिनांक से समयावधि में थी जिसे अनुविभागीय अधिकारी द्वारा समयावधि बाह्य मानकर खारिज करने में त्रुटि की गयी। विद्वान अपर आयुक्त द्वारा अपील स्वीकार कर प्रकरण विधिवत गुण-दोषों पर निराकरण करने हेतु अनुविभागीय अधिकारी को वापिस किया है जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। अतः उन्होंने निगरानी खारिज करने का अनुरोध किया।

5/ अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अनावेदक प्रीतमसिंह द्वारा विलम्ब को माफ करने हेतु समयावधि विधान की धारा 5 के आवेदनपत्र शपथपत्र के साथ प्रस्तुत किया है जिसमें विलम्ब का कारण अपीलान्त प्रीतमसिंह सेन्ट्रल जेल ग्वालियर में निरोध में होना दर्शाया है। आवेदनपत्र में दिनांक 10-08-99 को



अपीलान्ट प्रीतमसिंह स्वयं ग्राम चुरहेला जाना तथा ग्राम चर्चा से प्रथम बार जानकारी प्राप्त होना दर्शाया है। अनुविभागीय अधिकारी ने अपने आदेश में जेल में रहने का कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं करने एवं प्रत्येक दिन के विलम्ब का कोई कारण नहीं दर्शाने से अपील समयावधि बाह्य होने से खारिज की गयी है। संहिता की धारा 47 के अन्तर्गत अपीलों की परिसीमा निर्धारित की गयी है। संहिता की धारा 47 (क) में यह प्रावधान है कि -

“47(क) उस आदेश की तारीख से जिसके कि संबंध में आपत्ति की जाये, पैतालीस दिन का अवसान हो जाने के पश्चात उपखण्ड अधिकारी या कलेक्टर को या बन्दोवस्त अधिकारी या बन्दोवस्त आयुक्त को कोई अपील नहीं होगी, या”

म0प्र0 भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम 2011 द्वारा 'खण्ड (क) में शब्द "पैतालीस दिन" के स्थान पर शब्द "तीस दिन" स्थापित किया गया है।

इससे स्पष्ट है कि अपील में गुण-दोष पर तभी विचार किया जा सकता है जब अपील समयावधि में प्रस्तुत की गयी हों या विलम्ब का समुचित स्पष्टीकरण होने से विलम्ब न्यायहित में माफ किये जाने योग्य हों। प्रथम अपीलीय न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी ने विलम्ब के संबंध में प्रस्तुत किये गये स्पष्टीकरण पर विधिवत विचार कर विलम्ब क्षमा किये जाने का पर्याप्त आधार नहीं होने से अपीलों समयावधि बाह्य होने से खारिज की गयी। प्रथम अपीलीय न्यायालय के तथ्यात्मक निष्कर्ष किस प्रकार अभिलेख सम्मत नहीं है, इस संबंध में द्वितीय अपीलीय न्यायालय अपर आयुक्त ने अपने आदेश में कोई निष्कर्ष नहीं निकाला है। यह सही है कि विलम्ब के संबंध में मान0 उच्च न्यायालय द्वारा उदार दृष्टिकोण अपनाये जाने का अभिमत दिया है, किन्तु इस प्रकरण में अनावेदक प्रीतमसिंह द्वारा आदेश के लगभग 2 साल बाद अपीलों अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गयी। अपील में विलम्ब का कारण जेल में होना बताया, किन्तु इस संबंध में कोई प्रमाण ना तो अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया और ना ही अपर




आयुक्त के समक्ष ही प्रस्तुत किया गया। ऐसी दशा में लगभग 2 वर्ष के विलम्ब को उदार दृष्टिकोण के आधार पर क्षमा किया जाना न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता। पी.के.रामचन्द्रन विरुद्ध केरला राज्य तथा अन्य (ए आई आर 1998 एस सी 2276) में मान. उच्चतम न्यायालय द्वारा यह व्यवस्था दी है कि संतोषजनक स्पष्टीकरण के बिना विलम्ब को माफ नहीं किया जा सकता। दयाराम वि. स्टेट इण्डस्ट्रियल कोर्ट (2000 :एक: एम पी वीकली नोट, नोट नं0 55) में मान. उच्च न्यायालय द्वारा यह व्यवस्था दी है कि परिसीमा अधिनियम,1963- धारा 5- विलम्ब की माफी के लिए अविश्वसनीय कथा बताई गई- आवेदन मान्य नहीं किया जा सकता। भागचन्द वि. गिरधारीलाल यादव (2013 :एक: एम पी एल जे पृष्ठ 643) में मान. उच्च न्यायालय द्वारा यह व्यवस्था दी है कि -

“धारा 5 विलम्ब की माफी- न्यायिक शक्ति का वैवेकिक अधिकार का प्रयोग विधि के अनुसार ज्ञात युक्तियुक्त सीमाओं में किया जाना चाहिये- झूठा आधार धारा 5 के कार्यक्षेत्र एवं व्याप्ति के भीतर पर्याप्त कारण कभी नहीं हो सकता।”

उक्त न्याय दृष्टान्तों से स्पष्ट है कि झूठे आधार पर विलम्ब को माफ नहीं किया जा सकता। ऐसी दशा में अपर आयुक्त का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी आवेदनपत्र स्वीकार किये जाते हैं। अपर आयुक्त का आदेश दिनांक 30-08-02 निरस्त किया जाता है। परिणाम स्वरूप अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 21-06-01 यथावत रखे जाते हैं।


(एम0के0सिंह)

सदस्य,
राजस्व मण्डल, म0प्र0